

**कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला
परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा बारां**

क्रमांक :- मु.जि.शि.अ. / 2018-19 / बारां / 2963

दिनांक :- 22/3/19

समस्त

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
जिला बारां।

विषय :- SA-1&SA-2 के ग्रेड फिडिंग के संबंध में।

प्रसंग :- शिविरा/मा/माध्य/ SIQE/60824/विविध/2019/11 दिनांक 12.03.19


उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि जिले की प्राथमिक कक्षाओं का प्राथमिक व द्वितीय योगात्मक आकलन हो चुका है। जिसमें जिले के कुल 76824 विद्यार्थियों में से आज दिनांक तक SA-1 के 34283 व SA-2 26760 विद्यार्थियों की ही ग्रेड फिडिंग का कार्य हो पाया है। शेष रहे विद्यार्थियों की ग्रेड फिडिंग का कार्य 25.03.2019 तक पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। उक्त दिवस तक जिन संस्था प्रधानों द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, बारां
दिनांक :-

क्रमांक :- मु.जि.शि.अ. / 2018-19 / बारां /

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् उपशासन सचिव महोदय, शिक्षा ग्रुप-2 विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक महोदय मा/प्रा.शि. राजस्थान बीकानेर।
3. श्रीमान् संयुक्त निदेशक महोदय कोटा।
4. रक्षित पत्रावली।


अति. जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, बारां

कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बारां

क्रमांक :- 392

PEEO/प्रधानाचार्य/

संस्थाप्रधान

समस्त विद्यालय ब्लॉक बारां

दिनांक :- 22.03.2019

मूल पत्र की भेजकर लेख है कि पत्रानुसार चलना निर्धारित तिथि तक पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

22.3.19

D:/2019/March. 2019/Hemchand Genral letter March.2019

R.P. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन BRCF
समग्र शिक्षा अभियान
बारां



कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
क्रमांक-निदेशक/मा-स/विविध/वो-11/2018/74 दिनांक : 18/03/2019

परिपत्र

शासन के परिपत्र क्रमांक : प.17(1)शिक्षा-1/विविध/2017 दिनांक : 14.03.2019 के अनुसार प्रायः अधिकांश कार्यक्रमों में यह परम्परा देखने में आई है कि विद्यालयों एवं अन्य स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि या अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए छात्र/छात्राओं को कार्यक्रम स्थल पर दोनों तरफ कतार में खड़ा करके अतिथियों पर फूल बरसवाये जाते हैं, जो कि उचित नहीं है।

अतः शासन के परिपत्र दिनांक : 14.03.2019 के निर्देशानुसार भविष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में छात्र/छात्राओं से कार्यक्रम स्थल पर लाइन में खड़ा करने एवं अतिथियों पर फूल नहीं बरसवाये जाने को सुनिश्चित किया जावे।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


1. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
7. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
10. समस्त राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधान/पीईईओ।
11. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
12. रक्षित पत्रावली।

आप जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) के रूप में निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को मेरा निवेदन है कि प्रस्तावित कार्यक्रमों में छात्रों को लाइन में खड़ा करने और फूल बरसाने का आदेश नहीं दिया जाये।

E:\Genral letter.docx

271

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा)
बीकानेर



राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, बारां (राज0)

क्रमांक: एफ-8/सामान्य/2019/2559-62

दिनांक: 14 मार्च, 2019

निमित्त:-

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला बारां
2. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा./मा.) जिला बारां

विषय:- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की गतिविधियों के संबंध में।

प्रसंग:- निदेशक महोदय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 7(3)विप्रौ/डी.एस.टी./आर.एन.डी./2018-19/1822 दिनांक 07.03.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से बारां जिले में कक्षा आठवीं से बारहवीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रों के लिए विज्ञान के प्रति रुचि, जागरूकता एवं ज्ञानवर्धन के लिए कई तरह का कार्यक्रम प्रति वर्ष आयोजित किया किये जाते हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों को विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं शिक्षक अधिक से अधिक प्रतिभागी बनने एवं इन कार्यक्रमों को अधिक से अधिक सफल बनाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। प्रासंगिक पत्र के साथ कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जारी दिशा निर्देश की प्रति संलग्न प्रेषित है।

अतः इस संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बताये गये निर्देशानुसार कार्यक्रम/गतिविधियों को आयोजित कर विद्यालयों में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

अति. जिला कलेक्टर
बारां

क्रमांक: एफ-8/सामान्य/2019/2559-62

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

दिनांक:- 14 मार्च, 2019

1. निदेशक महोदय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।

~~आपका जिला शिक्षा अधिकारी राजस्थान सरकार जयपुर~~
क्रमांक 190
समस्त CBE0 के द्वारा ही भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार
उचित व आवश्यक कार्यवाही करने का भरोसा है।

अति. जिला कलेक्टर
बारां

राजस्थान सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

506, मिनी सचिवालय, बनीपार्क, जयपुर

एफ. 7(3)विप्रौ/डी.एस.टी./आर.एन.डी/2018 19/1822

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बीरा
क्रमांक 2148
दिनांक 13/3/19
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बीरा

दिनांक 7/3/19

सामान्य
2/-

श्रीमान जिलाधीश
जिला बीरा

13/3/19

विषय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की गतिविधियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की गतिविधियों के अन्तर्गत विज्ञान लोकप्रियकरण एवं संचार गतिविधि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत यह विभाग राज्य में कक्षा आठवीं से बारहवीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रों के लिए विज्ञान के प्रति रुचि, जागरूकता एवं ज्ञानवर्धन के लिए कई तरह के कार्यक्रम प्रति वर्ष आयोजित किये जाते हैं जिससे विद्यार्थी अपनी शाला में अध्ययन के साथ-साथ विज्ञान से सम्बन्धित अनेक कार्यक्रमों में भाग ले सकता है। इनमें से मुख्य कार्यक्रम निम्न प्रकार है:-

1. विज्ञान जलद
2. बाल विज्ञान कमेस
3. विज्ञान नाटक महोत्सव
4. विज्ञान मॉडल और शिक्षण सहायता प्रतियोगिता

विवेक वर्ष में देखने में आया है कि उक्त कार्यक्रमों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का सहभागिता पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अतः मेरा आग्रह है कि इस सम्बन्ध में आप अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश प्रदान करावें जिससे आपके जिले में विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं शिक्षक अधिक से अधिक प्रतिभागी बन सकें एवं इन कार्यक्रमों को अधिक से अधिक सफल बना सकें।

इस सम्बन्ध में इस विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय एवं अधिकारीगण सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों से सम्पर्क कर कार्यक्रम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करा सकेंगे।

इस सम्बन्ध में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जारी दिशा निर्देश (guideline) की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

regards,

भवदीय



(वी. सरवन कुमार, आई.ए.एस.)
निदेशक

RULES & REGULATIONS OF SCIENCE DRAMA FESTIVAL

The Science Drama Festival is to be held as per following:

1. Taluka (Town) level
2. District level
3. State level
4. Zonal level

WHO CAN PARTICIPATE?

The competition is open to the school students from 6th to 10th Standard.

THEME / TOPIC OF THE DRAMA

The topic/subtopics for the year 2017-18 are:

Topic: विज्ञान एवं समाज Science & Society

Sub-themes:

1. स्वच्छ भारत: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका
Swachh Bharat: Role of Science and Technology
2. नदियों की सफाई Cleansing of Rivers
3. डिजिटल भारत Digital India
4. हरित ऊर्जा Green Energy

Please note that the play could be based on any one of the above topics and should convey a definite scientific message.

INSTRUCTIONS

For Script Writer:

1. The drama should not be an academic exercise and boring. It should give emotional and aesthetic experience to the performers and also to the audience.
2. It should totally engage the audience and give educational message indirectly but effectively. The performers and the audience should feel happy that they have understood / learnt something in.
3. While writing the play, care should be taken with regard to the settings, duration of the play and also the number of artists taking part in the drama.

For Participants:

1. The duration of the play should not be more than **30 minutes**.
2. There should not be more than **8 actors** (including male & female) as a team for easy mobility.
3. It should convey – scientific message.
4. The drama team should be able to set up and stage the play quickly.
5. The language should be easy to follow (more of visuals preferred).
6. The drama can be in any Indian language (official).
7. The drama can have costumes, dance, music, mime and also models to enhance the quality and credibility of the drama.
8. Written posters / banners / A.V. aids / backdrops can be used for illustration.
9. If presented in any language other than in English, or Hindi, the participating school has to submit an authentic Hindi / English translation of the script to the organizer well before staging the drama.

Judging Criteria: Total Marks: 100

- | | | | |
|----|---------------------------------|---|----------|
| a. | Presentation of the drama | - | 50 Marks |
| b. | Scientific content in the drama | - | 30 Marks |

c Effectiveness of the drama

20 Marks

PRIZES

The following prizes will be awarded as per the judge's decision

Sr. No.	Prize	State/ UT level	Western Zonal level (to be borne by Nehru Science Centre)
1	Following three prizes in order of merit	As decided by State / UT organizers in consultation with NCSM unit in the State wherever applicable.	
	1 st Prize		Rs. 8000/-
	2 nd Prize		Rs. 6000/-
	3 rd Prize		Rs. 4000/-
2	Best Direction (one prize)		Rs. 1000/-
3	Best Script (one prize)		Rs. 1000/-
4	Best Actor (one prize)		Rs. 1000/-
5	Best Actress (one prize)		Rs. 1000/-

NOTE : Each State/Unit shall select only two best teams and each UT shall send one team for Zonal level participation. However, two best teams selected from Zonal level competition shall participate at National level festival.

SCHEDULE

The State/unit level Science Drama competition may be completed by **October 2017** and the Zonal level competition will be held in **November 2017**. National level Science Drama Festival will be held in **January 2018** at Nehru Science Centre, Mumbai.

TRAVEL EXPENDITURE

NCSM shall bear the travelling expenditure restricted to sleeper-class rail / bus fare from the place of residence to the place where Zonal / National Competition is held. No travel cost shall be paid for unit / state level competition by NCSM. However, respective State /UT could consider payment of travel expenses from their budget for State/UT/ Unit level competitions. Prizes at State/ UT level are also be borne by the respective State/UT.

BOARDING & LODGING

The participants will be given two days free boarding & lodging facility at Zonal / National level competition by NCSM.

----- X -----